राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग
वर्ष 2018–19 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की रिटेल आफ दुकानो के अनुज्ञापत्र आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते

1. पात्रता

विदेशी मदिरा एवं बीयर रिटेल आफ विक्रय हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमो के तहत इस प्रकार का अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यता रखते है। मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेगें :–

(i) भारत का नागरिक नही हो।

(ii) कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो,

(iii) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जामिन के रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(iv) वर्ष 2017–18 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर, 2017 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि/लाईसेंस फीस की कोई राशि बकाया हो,

(v) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत अपराध का कोई मामला दर्ज हो अथवा उसमें सजायाब हुआ हो ।

(vi) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 74 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति ।

(vii) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये पात्र नही होंगे।

2. अवधि

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2018–19 (दिनांक 1–4–2018 से दिनांक 31–3–2019) के लिये होगी।

3. **बन्दोबस्त की प्रणाली :–**

वर्ष 2018–19 हेतु भा.नि.वि. मदिरा/बीयर का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के खुदरा अनुज्ञापत्र दुकानवार निश्चित वार्षिक लाईसेन्स फीस पर आवंटित किये जायेंगे।

4. **बन्दोबस्त प्रकिया :–**

वर्ष 2018–19 के लिये आवेदन आमंत्रित कर भा.नि.वि.म./ बीयर की दुकानों का बन्दोबस्त किया जायेगा। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों की भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकानों का बन्दोबस्त अन्य जिलों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्व की भांति यथावत किया जायेगा। इस वर्ष भा.नि.वि. मदिरा/बीयर की दुकानों हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें जो कि विभागीय वेबसाईट के साथ–साथ आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराई जायेगी।

एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व की भांति जिला कलक्टर के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नही किया जायेगा।

5. **आवेदन पत्र**

5.1 <u>एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान आवंटित नही की जावेगी।</u> यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकानो हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकानों के लिये उसका चयन हो जाता है तो उसे दुकान का आवंटन शर्त संख्या 12 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

5.2 समस्त आवेदन ऑनलाईन ही वेबसाइट https://www. **rajexciseapplication2017-18.org** द्वारा स्वीकार किये जाएँगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नही किये जायेगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलबध समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।

5.3 आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से भरे जा सकते है।

5.4 इन दुकानों की प्रति दुकान वार्षिक लाईसेन्स फीस एवं आवेदन शुल्क निम्नानुसार है। आवेदक को प्रति दुकान कॉलम संख्या 6 में दर्शाया गया तथा निर्धारित आवेदन शुल्क (non refundable) कॉलम संख्या 7 के

अनुसार जमा करानी होगी। आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि इन्टरनेट बैंकिग/ई–ग्रास चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट/जी0ए0–55 के माध्यम से जमा कराया जा सकता है :–

क्र.सं.	श्रेणी	वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस (लाख रू0 में)			आवेदन शुल्क रुपये में
		बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं. 4 एवं 5 का योग	
1	2	4	5	6	7
1.	जयपुर व जोधपुर	**19.00**	**8.00**	**27.00**	22000
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	**15.50**	**6.50**	**22.00**	22000
3	जिला मुख्यालय अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली एवं गंगानगर	**12.00**	**5.00**	**17.00**	22000
4.	अन्य जिला मुख्यालय	**10.80**	**4.20**	**15.00**	22000
5.	अन्य नगरपालिकाएँ एवं सागवाड़ा (''चतुर्थ श्रेणी'' की अन्य नगर पालिकाओं को छोड़कर)	**10.00**	**3.50**	**13.50**	22000

आवेदन शुल्क अप्रतिदाय योग्य (non refundable) होगा। दुकान आवंटन की स्थिति में अमानत राशि को वार्षिक बेसिक लाईसेन्स फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। दुकान आवंटन नही होने की स्थिति में तथा अन्यथा समायोजन नही होने की स्थिति में अमानत राशि पुनः लौटा दी जावेगी।

5.5 रजिस्टर्ड/भागीदारी फर्म/कम्पनी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने की स्थिति में नाम के कॉलम में आवेदक रजिस्टर्ड/भागीदारी फर्म/कम्पनी का नाम अंकित किया जावे। रजिस्टर्ड/भागीदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में पिता का नाम अंकित करना आवश्यक नहीं होगा। रजिस्टर्ड/भागीदारी फर्म/कम्पनी द्वारा किसी एक भागीदार/निदेशक को ऑन लाईन आवेदन करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। ऑन लाईन आवेदन में इसी अधिकृत व्यक्ति की आयु का अंकन एवं हस्ताक्षर तथा फोटो अपलोड करना पर्याप्त होगा।

इस कम्पनी अथवा फर्म के आवेदन सफल हो जाने की स्थिति में दुकान संचालन करने से पूर्व अधिकृत पत्र की प्रति, पार्टनरशिप डीड की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ये दोनो दस्तावेज ऑन लाईन आवेदन करने की दिनांक से पूर्व के होना आवश्यक होंगे।

5.6 ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट **https://www. rajexciseapplication2017-18.org** पर **दिनांक 10.02.2018 से 24.02.2018 को सांय 5.00 पीएम बजे तक भरे जा सकते है।** इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।

5.7 जिस दुकान/दुकानों के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकानों की निर्धारित वार्षिक राशि की 1 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक होगा जो आवेदक के पक्ष में स्वीकृति जारी होने पर बेसिक लाईसेन्स फीस पेटे समायोजन की जा सकेगी।

I. आवेदक द्वारा जिले में अधिकतम अमानत राशि वाली दुकान की अमानत राशि के बराबर एक बारीय (One time) अमानत राशि जमा कराई जा सकेगी। आवेदक इस जमा अमानत राशि के आधार पर उस जिले में प्रत्येक आवेदन पर उस दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। एक दुकान के लिये एक से अधिक आवेदन अथवा अलग-अलग दुकान के लिये एक अथवा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेगे। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (Non refundable) होगा।

II. अलग-अलग जिलों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित जिले की अधिकतम अमानत राशि वाली दुकान की अमानत राशि के बराबर अमानत राशि जमा कराने पर ही सम्बन्धित जिले में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन मान्य होगा।

III. जिले में एक आवेदक द्वारा किसी एक दुकान के लिये एक ही आवेदन किया जाता है तो उसे सम्बन्धित दुकान के लिए निर्धारित अमानत राशि ही जमा करानी होगी।

आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि इन्टरनेट बैकिंग/ई-ग्रास चालान/ डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।

5.8 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का इन्टरनेट बैकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदको के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जायेगा।

उक्त प्रिन्टेड़ आवेदन पत्र को ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा 26.02.2018 को 5.00 पीएम तक, जो भी पहले हो, तक आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड कॉपी प्रस्तुत करने की**

उक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये प्रिन्टेड कॉपी 26.02.2018 को 5 पीएम के बाद स्वीकार्य नही होगें।

5.9 इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक दस्तावेज की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।

5.10 आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते वक्त फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।

5.11 जिन आवेदन पत्रो के साथ आवेदन शुल्क, निर्धारित अर्नेस्टमनी एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।

5.12 वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरो में शहर के जोन गठित किये गये हैं। अतः ऐसे शहरो की दुकानों हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र में शहर के नाम के साथ जोन (जिसमें वह दुकान लगाने हेतु आवेदन कर रहा हैं) की संख्या का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा । ऐसे शहरो के लिये जोन संख्या का उल्लेख नही होने या अस्पष्टता होने पर ऐसे आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्देशित जोन हेतु आवेदन मान लिया जायेगा एवं आवेदक की कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी ।

6. लाईसेन्स फीस :–

वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस श्रेणीवार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः–

(राशि लाख रूपये में)

क.सं.	श्रेणी	वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस (लाख रू0 में)		
		बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	4	5	6
1.	जयपुर व जोधपुर	**19.00**	**8.00**	**27.00**
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	**15.50**	**6.50**	**22.00**
3	जिला मुख्यालय अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली एवं गंगानगर	**12.00**	**5.00**	**17.00**
4.	अन्य जिला मुख्यालय	**10.80**	**4.20**	**15.00**
5.	अन्य नगरपालिकाएँ एवं सागवाड़ा (''चतुर्थ श्रेणी'' की अन्य नगर पालिकाओं को छोड़कर)	**10.00**	**3.50**	**13.50**

6.1 न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस

6.1.1 वर्ष 2018–19 के लिये बिन्दु संख्या 4.4.2 में अंकित विभिन्न श्रेणियों के अनुज्ञाधारियों द्वारा सम्बन्धित वर्ष में भुगतान की गई न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की राशि, भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के लिये निर्धारित प्रति बल्क लीटर स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे (जो कि अनुज्ञाधारी द्वारा देय है) सम्बन्धित वर्ष में ही समायोजित की जायेगी। सम्बन्धित वर्ष में उक्त समायोजन के पश्चात अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के निर्गम पर निर्धारित दर से स्पेशल वेण्ड फीस अलग से जमा करवानी होगी।

6.1.2 भा.नि.वि.मदिरा के वर्ष 2017–18 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2018–19 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि एवं बीयर के वर्ष 2017–18 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2018–19 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि.मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान एवं परिधीय क्षेत्र के कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि.मदिरा की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

6.1.3 दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ के अनुज्ञाधारियों को रू. 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) राशि के राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैक गारन्टी सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के तीन माह बाद ही इन्हें लौटाया जा सकेगा। साथ ही अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैक गारन्टी से आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित अनुज्ञाधारी से बकाया राशि वसूल की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगे।

6.1.4 शहरीय क्षेत्रों के रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों को विभागीय निर्देशानुसार विभागीय वेबसाईट अथवा मोबाईल एप पर मदिरा/बीयर/वाईन इत्यादि के दैनिक स्टॉक की स्थिति ऑनलाईन विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करनी होगी।

6.1.5 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी दुकान का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित दुकान की न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस/कम्पोजिट फीस का पुनःनिर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

6.2 **अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य**

6.2.1 भा.नि.वि.मदिरा की बोतल एवं अद्धे पर खुदरा अनुज्ञाधारी का लाभांश 20 प्रतिशत ही रखते हुये बोतल तथा अद्धे का अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य आगामी एक रूपये तक राउण्ड ऑफ किया जायेगा।

6.2.2 भा.नि.वि.मदिरा के पव्वों एव बीयर की समस्त धारिता पर खुदरा अनुज्ञाधारी का लाभांश 22 प्रतिशत रखते हुये भा.नि.वि.मदिरा के पव्वों एव बीयर की बोतलों का अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य आगामी एक रूपये तक राउण्ड ऑफ किया जायेगा।

7. अमानत राशि (Earnest Money)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों के लिये आवेदन के साथ सम्बन्धित दुकान के लिये वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) की एक प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) के पेटे समायोजित किया जायेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि सम्बन्धित आवेदक को लौटा दी जायेगी।

8. लाईसेंस फीस अदायगी

8.1 विदेशी मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ दुकान के आवेदक के नाम स्वीकृति जारी होने पर 1 प्रतिशत अमानत राशि के समायोजन पश्चात् वार्षिक लाईसेंस फीस की 40 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से तीन दिन में तथा शेष 59 प्रतिशत राशि 10 दिन में अथवा दुकान संचालन से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करानी होगी।

8.2 यदि आवेदक किसी स्टेज पर उक्त अनुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा अमानत राशि/वार्षिक लाईसेंस फीस राशि राज्यसात् कर उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु पृथक से कोई नोटिस नही दिया जायेगा।

9. दुकानों का संचालन

9.1 आवेदक को अपनी दुकान पर विदेशी मदिरा/भा.नि.वि.म./वाईन/आर.टी.डी./बीयर बेचने की अनुमति होगी । आवेदक को अपनी दुकान पर किसी भी रूप में मदिरा पान कराने की अनुमति नहीं होगी ।

9.2 अनुज्ञाधारी को अपनी समस्त आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा इस हेतु बनाये गये निगम के डिपो से ही लेनी होगी ।

9.3 अनुज्ञाधारी निर्धारित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य से ऊँचा मूल्य वसूल नहीं कर सकेगें और न ही निर्धारित न्यूनतम मूल्य से नीची दर पर मदिरा का विक्रय कर सकेगें ।

9.4 दुकानों के बारे में अन्य प्रावधान संलग्न अनुज्ञापत्र शर्तो में है । आवेदक को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिये । किसी भी आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त यदि वह उसे आवंटित दुकान के क्षेत्र / कस्बे /गॉव में दुकान नहीं लगा पाता है, तो भी वह लाईसेंस फीस या उसके द्वारा जमा करवाई गई किसी भी प्रकार की राशि में छूट अथवा उसकी वापसी का अधिकारी नहीं होगा ।

10. दुकानों की संख्या व अवस्थिति

विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों जिनके लिये आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं, उनकी संख्या तथा एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर हेतु यह दुकाने किस क्षैत्र में लगाई जा सकेगी, उसका विवरण उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय एवं **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** में उपलब्ध है प्राप्त किया जा सकता है। शेष नगरपालिका क्षेत्रों हेतु स्वीकृत सीमा तक दुकाने सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र में सफल आवेदक द्वारा कहीं भी लगाई जा सकेगी ।

11. आबकारी शुल्क व अन्य प्रभार

11.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 28 के अन्तर्गत समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से आबकारी शुल्क तथा अतिरिक्त आबकारी शुल्क देय होगा । निगम द्वारा आबकारी शुल्क व अतिरिक्त आबकारी शुल्क चुकी मदिरा का ही अनुज्ञाधारियों को विक्रय किया जायेगा ।

11.2 अनुज्ञाधारियो को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से परमिट फीस का भुगतान भी करना होगा ।

11.3 विदेशी मदिरा व बीयर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बिन्दु / प्रक्रिया अनुसार 20 प्रतिशत वैट देय होगा ।

11.4 अनुज्ञाधारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर पर देय स्पेशल वेण्ड फीस का भुगतान भी अलग से करना होगा ।

12. इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक दस्तावेज की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।

किसी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम अथवा उसके जोन हेतु दुकानों की निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष **दिनांक 27.02.2018 को प्रातः 11.00 बजे** जिला मुख्यालयों पर निकाली जायेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी/सूचना जिला कलक्टर एंव सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

13. रिटेल ऑफ दुकानों का आवंटन/लॉटरी प्रकिया

13.1 किसी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम अथवा उसके जोन हेतु दुकानों की निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष **दिनांक 27.02.2018 को प्रातः 11.00 बजे** जिला मुख्यालयों पर निकाली जायेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी/सूचना जिला कलक्टर एंव सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यवाही के दौरान उस दुकान के समस्त आवेदक उपस्थित रह सकते है । आवेदकों को चाहिये कि लॉटरी निकालने की इस प्रकिया में भाग लेने के लिये प्रवेश हेतु वह आवेदन पत्र की दी गई रसीद (आवेदन पत्र का भाग – III) अपने साथ रखें ।

13.2 किसी दुकान के लिए लॉटरी निकालने के लिये उस दुकान हेतु प्राप्त समस्त आवेदन के भाग II को पृथक कर ऐसी समस्त पर्चियों को एक साथ डालकर लॉटरी निकाली जायेगी ।

13.3 किसी शहर / कस्बे अथवा उसके किसी जोन के लिये दुकानों की जो संख्या निर्धारित हैं उस हेतु दुकानों की संख्या की दुगुनी तक अतिरिक्त आवेदको की एक आरक्षित सूची (reserve list) बाबत भी लॉटरी निकाली जायेगी ताकि यदि मूल सूचि में चयनित कोई आवेदक निर्धारित अवधि में लाईसेंस फीस की राशि जमा नही करवाता हैं तो आरक्षित सूची में से उसी वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी की जा सके।

14. एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नही किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकान हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार दुकान आवंटित कर दी जायेगी तथा शेष दुकानों का आवंटन आरक्षित सूची में से वरिष्ठता के क्रम में किया जायेगा। एक से अधिक दुकानों के आवंटन की सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। एक से अधिक दुकानों के आवंटन की सूचना विभाग को नहीं देने पर इसे आवेदन आमन्त्रण शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिये एक से अधिक दुकान हेतु आवेदक का चयन/स्वीकृति निरस्त कर उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि/लाईसेन्स फीस जप्त कर ली जायेगी।

15. आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान / प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

16. आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के तहत जारी की गई अधिसूचना/विभागीय परिपत्र/आदेश एवं राज्य सरकार द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में जारी आदेश/निर्देश अन्तिम होगे।

15. आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दें । आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की इस प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का संशय/विवाद उत्पन्न होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान – सरकार
आबकारी – विभाग

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान आबकारी नियम 1956 तथा राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहिःपान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम 1982 के अन्तर्गत विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा बिक्री (रिटेल ऑफ) के लिए अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र संख्या .... दिनांक : ....

अनुज्ञाधारी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पूर्ण पता

उपर्युक्त व्यक्ति / व्यक्तियों को विदेशी मदिरा एवं बीयर के राजस्थान राज्य ब्रेवरेजेज कारपोरेशन के निर्धारित गोदाम से विदेशी मदिरा एवं बीयर प्राप्त कर ———————— स्थान (मोहल्ला) ————————— शहर/ गॉव ———————— जिला में अवस्थित दुकान पर खुदरा विक्रय करने हेतु दिनांक ———————— से ———————— तक की अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तो पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता हैः–

1. **राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों आदि की पालना :**

अनुज्ञाधारी, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या –2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 तथा राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहिःपान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम 1982 एवं अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमत्रंण बाबत दिये गये विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तो तथा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा ।

2. **लाईसेंस फीस एवं अन्य राशियां तथा उनका भुगतान :**

2.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2018–19 (दिनांक 1.4.2018 से 31.3.2019 तक) की अवधि के लिए निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाइसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेन्ड फीस का योग) रूपये ———————(अंको में) रूपये ———————————————————— (शब्दो में) का भुगतान आवेदन के संबंध में जारी विस्तृत दिशा निर्देशों में उल्लेखित अवधि में भुगतान करना होगा ।

2.2 उपर्युक्त राशियों के अलावा फीस एवं अन्य कर प्रभार, अगर कोई है, का नियमानुसार अलग से भुगतान करना होगा।

2.3 अनुज्ञाधारी द्वारा विलम्ब से जमा करायी गयी राशि पर राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा ।

2.4 अनुज्ञाधारी को राजस्थान राज्य ब्रेवरेजेज कारपोरेशन से मदिरा क्रय के लिये परमिट जारी करवाते समय राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69–बी के अन्तर्गत देय फीस एवं स्पेशल वेण्ड फीस पृथक से भुगतान करनी होगी ।

3. **अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :**

3.1 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञापत्र हस्तान्तरित नही कर सकेगा । अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर अनुज्ञाधारी के वैध वयस्क उत्तराधिकारी को उसकी प्रार्थना पर अनुज्ञापत्र नियमानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

3.2 ''व्यक्तियों के समूह'' के नाम पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्वीकृत ''व्यक्तियों के समूह'' में सम्मिलित समस्त व्यक्ति सह – अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेंगे एवं अनुज्ञापत्र की शर्तो से बाध्य होगे। सभी सह – अनुज्ञाधारी आबकारी बकाया एवं अन्य दायित्वों के लिए संयुक्त एवं पृथक – पृथक रूप से उत्तरदायी होगें । दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा । ऐसे ''व्यक्तियों के समूह'' में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होगे।

4. **दुकान की अवस्थिति :**

4.1 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान की अवस्थिति का अनुमोदन अपने क्षैत्र के जिला आबकारी अधिकारी से करवाना होगा । बिना स्वीकृति के अनुज्ञाधारी दुकान का संचालन नही कर सकेगा । उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गई अवस्थिति पर दुकान लगाने की स्वीकृति देने से मना कर सकता है । ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा लाईसेंस फीस व अन्य देय राशियों में छूट पाने का हकदार नही होगा । साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृत कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा ।

4.2 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटवा सकेगा । इस प्रकार स्वीकृत दुकान को एक स्थान से उसी दुकान के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नहीं करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा लाइसेन्स फीस में छूट पाने का हकदार नही होगा ।

4.3 अनुज्ञाधारी किसी कारणवश यदि दुकान संचालित नही कर पाता है तो लाइसेन्स फीस एवं अन्य देय राशियों में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नही होगा ।

4.4 अनुज्ञाधारी मदिरा दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नही लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा । महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घन्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी। इस बाबत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधान एवं विभागीय निर्देश अन्तिम होगे।

4.5 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नही लगा सकेगा । हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित

व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

4.6 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2016, 31.03.2017 एवं 11.07.2017 के अनुसार राज्य में मदिरा की दुकानों की लोकेशन राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के बाहरी किनारा (outer edge) अथवा सर्विस रोड (service lane) से 220/500 मीटर की दूरी पर अनुमत होगी। साथ ही उक्त राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से सीधे ही दिखाई (visible) देने अथवा सीधे सुलभ (Directly accessible) वाले स्थान पर भी मदिरा दुकान की लोकेशन स्वीकृत नही की जायेगी।

4.7 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर 125 X 75 से. मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम व विवरण, दुकान के खुलने व बन्द होने का समय आदि का उल्लेख हों, लगाना होगा । मदिरा दुकानो का केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा तथा इस एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की आला या दीवार में छेद इत्यादि नही होगा। दरवाजे के अलावा पूरी दुकान पुख्ता पक्की होगी । आमतौर से मदिरा की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके । दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा । जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नही रख सकेगा । अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नही दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियों / टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा । इसके साथ ही किसी भी मदिरा के ब्राण्ड के विक्रय को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम , भेट, नजराना या प्रलोभन नही ले सकेगा । इसके अलावा किसी भी मदिरा ब्राण्ड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का विज्ञापन /छद्म विज्ञापन किसी भी रूप में नही करेगा।

4.8 दुकानों को स्वच्छ रखना होगा तथा नियमित रूप से साफ – सफाई रखनी होगी । मदिरा के स्टॉक को दुकान में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। विक्रय की जाने वाली विभिन्न ब्राण्डस् की मदिरा को दुकान के भीतर उचित रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा । इसके अलावा दुकान के दरवाजे के पास प्रमुख मदिरा ब्राण्डों की अधिकतम खुदरा मूल्य प्रर्दशित करने वाली स्पष्ट पठनीय सूची विभाग द्वारा निर्धारित

साईज की लगानी होगी । यह सूची ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहां से ग्राहक इस सूची को आसानी से पढ़ सके / देख सके ।

4.9 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस दुकान के लिए निर्धारित क्षैत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर लाइसेंन्स फीस में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

4.10 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से स्वीकृत दुकान को उस दुकान हेतु निर्धारित क्षैत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा ।

5. दुकानों का संचालन

5.1 दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।

5.2 वर्ष 2017– 2018 हेतु नियत 5 शुष्क दिवस (यथा गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती हैं) को शुष्क दिवस रहेगा एवं भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रखनी होगी। । इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय – समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न लाइसेंस फीस की राशि में ही कोई कमी की जावेगी । यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती है तो भी लाइसेन्स फीस की राशि में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी । शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी ।

5.3 अनुज्ञाधारी बिक्री के लिए मदिरा राजस्थान राज्य ब्रेवरेजेज कारपोरेशन के निर्धारित गोदाम से ही क्रय कर सकेगा और उसे अपनी दुकान पर **'इन्वायस–कम–टी.पी'** में अंकित मार्ग से नियत समय में सुरक्षित रूप से लायेगा और उसे परिवहन के दौरान साथ रखना होगा । दूसरे स्थान या किसी भी अन्य अनुज्ञाधारी से मदिरा नही ला सकेगा, न अपने पास रख सकेगा और न ही उसका विक्रय कर सकेगा ।

5.4 आवेदक को अपनी दुकान पर विदेशी मदिरा/भा.नि.वि.म./ वाईन/आर.टी.डी./बीयर बेचने की अनुमति होगी । आवेदक को अपनी दुकान पर किसी भी रूप में मदिरा पान कराने की अनुमति नहीं होगी ।

5.5 **मदिरा दुकानो पर नौकर रखे जाने की स्थिति**

5.5.1 **अनुज्ञाधारी मदिरा लाने व बेचने के लिये जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये वांछित पात्रता वाले व्यक्ति को जिला आबकारी अधिकारी पूर्वानुमति से नौकरनाम सम्पादित कर नौकर रख सकेगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थित की अवस्था में अनुज्ञाधारी के पिता/पति एवं अनुज्ञाधारी के वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी।**

5.5.2 **किसी भी मदिरा दुकाने के लिये नौकर रखे जाने की अधिकत सीमा चार होगी।**

5.5.3 दुकान पर मदिरा बेचान करने वाले अधिकृत नौकर को उचित वेशभूषा में रहना होगा तथा उसे अपने नाम तथा विभाग द्वारा नौकरनामे के अनुमोदन के क्रमांक व दिनांक के उल्लेख वाली पट्टिका/लेमिनेटेड कार्ड लगाना होगा।

5.5.4 संबंधित जिला कार्यालय में मदिरा दुकान पर रखे जाने वाले नौकर के रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

5.5.5 मदिरा दुकान पर रखे नौकर द्वारा किये गये प्रत्येक काम के लिये अनुज्ञाधारी स्वंय उत्तरदायी होगा।

5.6 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में मदिरा की इतनी मात्रा रखनी होगी जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो । मदिरा का सारा स्टॉक उसी दुकान पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है ।

5.7 भा.नि.वि.मदिरा के वर्ष 2017–18 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2018–19 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि एवं बीयर के वर्ष 2017–18 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2018–19 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि.मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान एवं परिधीय क्षेत्र के कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि.मदिरा की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/–

प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी।

5.8 मदिरा का विक्रय केवल सील बन्द बोतलों /केन में ही किया जा सकेगा ।

5.9 स्वीकृत दुकान पर किसी भी रूप मे मदिरा पान करना/ कराना पूर्णतः निषिद्ध होगा । स्वीकृत दुकान पर वैध रूप से क्रय की गई राज्य में विक्रय योग्य मदिरा के अतिरिक्त अन्य कोई खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ/अन्य वस्तुऐं यथा खाली बोतल, कार्टन इत्यादि नही रखे जा सकेगे।

5.10 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरूस्त न हो, मदिरा नही बेच सकेगा । इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल व आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, मदिरा नही बेच सकेगा । वाहन चालकों को एवं हवाई जहाज के पायलटों को जो ड्यूटी दे रहे हो, को मदिरा नही बेच सकेगा।

5.11 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआ नही होने देगा और ऐसे लोगों को जो कुख्यात बदमाश हो, दुकान पर आने नहीं देगा और रात को ऐसे बदमाशों को अपनी दुकान पर नही ठहरायेगा । यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता हो तो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा ।

5.12 अनुज्ञाधारी मदिरा बोतलो पर अंकित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य से ऊँचा मूल्य ग्राहको से वसूल नही करेगा ।

5.13 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत खुदरा विक्रय हेतु उल्लेखित अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा में मदिरा सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना एक साथ नही बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी आज्ञा के विरूद्व वह कोई आपत्ति नही कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।

6. **अभिलेखों का संधारण :**

6.1 अनुज्ञाधारी को मदिरा की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब के दैनिक स्टॉक की स्थिति निर्धारित रजिस्टर में विभागीय निर्देशानुसार संधारित की जानी होगी एवं शहरीय क्षेत्रों के रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों को विभागीय निर्देशानुसार विभागीय वेबसाईट अथवा मोबाईल एप पर मदिरा/बीयर/वाईन इत्यादि के दैनिक स्टॉक की स्थिति ऑनलाईन विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करनी होगी। मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा । अनुज्ञाधारी को एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा।

6.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं मदिरा का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा ।

6.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को मदिरा के बचे हुए स्टाक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी । समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा । निस्तारण होने तक बचा हुए स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्रधारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया, बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होगें ।

7. **अनुज्ञापत्र को निरस्त करना**

7.1 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालू नही रखता है अथवा ठीक तौर पर नहीं चलाता है अथवा किसी भी प्रकार आबकारी शुल्क व अन्य आबकारी प्रभारों की अपवचंना में प्रत्यक्ष या

परोक्ष रूप से सम्मिलित है अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

7.2 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 अथवा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उसके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

7.3 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से मदिरा, अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका संबंध है जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

7.4 अनुज्ञाधारी का यह भी दायित्व होगा कि वह उसके समूह क्षैत्र में अवैध मदिरा विक्रय या गैर कानूनी मदिरा विक्रय की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरन्त जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को देगा । यदि यह पाया जाता है कि क्षैत्र में अवैध मदिरा विक्रय की जानकारी अनुज्ञाधारी को थी तथा इसकी सूचना वह उसके जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक को देने में असफल रहा तो ऐसे मामलो में अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उसका अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा ऐसा अनुज्ञाधारी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा रिफण्ड प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7.5 यदि अनुज्ञाधारी विदेशी मदिरा अथवा बीयर विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हुए पाया जाता है तो यह अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लघंन की श्रेणी में आएगा। ऐसे प्रकरणों की जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेशों की पालना करने हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।

7.6 अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा आबकारी अधिनियम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम 1956, राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहिःपान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम, 1982 अथवा अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संबंध में जारी विस्तृत निर्देश

एवं शर्तो, अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तो अथवा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

7.7 अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी अनुज्ञाधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त अनुज्ञापत्र निरस्त कर सकेगा । अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अनुज्ञाधारी अथवा उसके वारिस किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नही होंगें ।

7.8 अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में लाईसेंस फीस का कोई भी भाग वापसी योग्य नही होगा ।

8. **बकाया राशियों की वसूली :**

अनुज्ञाधारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व अथवा उस पर ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू – राजस्व की बकाया की भॉति अनुज्ञाधारियों एवं उनके वारिसो/ उत्तराधिकारियों से की जायेगी । अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उसके वारिसो /उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा ।

9. आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान / प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

10. आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2017–18 व 2018–19 के तहत जारी की गई अधिसूचना /विभागीय परिपत्र/आदेश एवं राज्य सरकार द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में जारी आदेश/निर्देश अन्तिम होगे।

11. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षैत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा ।

अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर

प्रतिसंविदा

अनुज्ञापत्र संख्या ——————————————जिला ——————————— दुकान का नाम ———————————————————— मैं /हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तो तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, अनुज्ञापत्र के आवेदन आमंत्रण के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ / करते हैं ।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

प्रति हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
आबकारी निरीक्षक
वृत ——————————

(जिला आबकारी अधिकारी)

,